

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज गंगासिंह वगैरह बनाम कल्याणसिंह वगै, मुकदमा संख्या - 140 / 2014</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीली में जारी हुए</p>
<p>07.10.2024</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके मौजा दुगावा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 203 रकबा 3.79 हैक्टेयर, खसरा संख्या 204 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 205 रकबा 2.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 205/808 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 268 रकबा 7.03 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.40 हैक्टेयर आये हुए है। दौराने नवीन सेटलमेंट पुराने खसरा संख्या 77 रकबा 91 बीघा 05 बिस्वा से नवसृजित हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से भंवरसिंह वल्द पीरसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के पुराने खसरा संख्या 77 में से अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि अर्थात् 1.825 हैक्टेयर प्रार्थी गंगासिंह को बेचान कर दी। बेचान तिथि से उक्त आराजी पर प्रार्थी गंगासिंह का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी अवरोध के निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में से गजुसिंह वल्द रावतसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के खसरा संख्या 77 में से 6 बीघा यानि 0.97 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी गंगासिंह व अप्रार्थी संख्या 1 कल्याणसिंह को बहिस्सा बराबर बेचान कर दी। बेचान की तिथि से उक्त आराजी पर प्रार्थी गंगासिंह व अप्रार्थी कल्याणसिंह का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक ढंग से चला आ रहा है। इसी प्रकार गजुसिंह ने उक्त वादग्रस्त आराजी में से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के द्वारा अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि में से 1.92 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष संपूर्ण भूमि प्रार्थीयागण श्रीमती रसाल कंवर एवं हंसकंवर को बहिस्सा बराबर अर्थात् कुल 2.56 हैक्टेयर भूमि बैचान कर दी। बेचान की तिथि से उक्त आराजी पर प्रार्थीयागण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त बेचान दस्तावेज से पूर्व गजुसिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से 1.92 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीया मरेमा को बेचान कर दी थी जो उसके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार मालमसिंह ने अपना संपूर्ण हिस्सा अप्रार्थीया मरेमा को बेचान कर दिया था। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का हक हकूक बनता है परन्तु पटवारी हल्का के नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 14.08.2007 भरते समय प्रार्थीया गण रसालकंवर एवं हंसकंवर के खातेदारी 2.56 की जगह 2.44 हैक्टेयर दर्ज कर दी जबकि जरिये बेचान दस्तावेज 2.56 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी तथा कब्जा भी 2.56 हैक्टेयर भूमि पर आज दिन तक मौजूद है। पटवारी द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से हमारे खातेदारी हकों से महरूम करते हुए 0.12 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज कर दी ऐसी सूरत में दावा बाबत खातेदारी घोषणा का पेश किया है। उक्त हमारे बंट व कब्जा काश्त की भूमि को प्रार्थना-पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। हम प्रार्थीगण ने उक्त हमारे बंट में आई समस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के प्रतिफल की पूर्ण राशि अदा कर क्रय की है तथा खरीद की तिथि से खरीदसुदा आराजी पर हम वादीगण का कब्जा निरन्तर बिना किसी अवरोध के शांतिपूर्वक ढंग से चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला हम प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। उक्त आराजी को हमने खाद वगैरह डालकर उपजाऊ, समतल एवं उपयोगी बनाया है जिससे सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अगर बिना किसी वैध अधिकार के डण्डे के बल पर जोर जबरदस्ती हमें हमारे कब्जा काश्त एवं खातेदारी हक हकूकों की भूमि से बेदखल कर दिया गया तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृष्ट्य में किया जाना कतई संभव नहीं है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।</p>	

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाये जाने से इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर, कलकत्ता-1
ट्रेडिंग और साविर